सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 297 राँची, शुक्रवार

18 वैशाख, 1937 (श०)

8 मई, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

1 मई, 2015

कृपया पढ़े:-

1. उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक- 1827/गो0, दिनांक 30 नवम्बर, 2010

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-3716, दिनांक 06 जुलाई, 2011, संकल्प संख्या-13580, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 एवं पत्रांक-4249, दिनांक 17 मई, 2013

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी का पत्रांक-55, दिनांक 16 मार्च, 2013

संख्याः 5/आरोप-1-96/2014 का.-4032-- श्री वीर प्रकाश प्रसाद, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 643/03, गृह जिला- नालन्दा, बिहार), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चन्दवा, लातेहार के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक- 1827/गो0, दिनांक 30 नवम्बर, 2010 द्वारा प्रपत्र- 'क' मे आरोप प्रतिवेदित है ।

प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप लगाये गये हैः-

1.(क) वर्ष 2007-08 में नरेगा के तहत् योजना संख्या-138/07-08 में दिनांक 19 फरवरी, 2008 को 15,000/- एवं दिनांक 03 मार्च, 2008 को 1,00,000/- रूपये श्रमिक समिति के अध्यक्ष को अग्रिम दिया गया है। इन दोनों अग्रिमों के बीच योजना में किये गये कार्य का कोई भी मापी प्रतिवेदन कनीय अभियंता से प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, आपके द्वारा दो तिथियों में अध्यक्ष, सचिव को अग्रिम के रूप में 1,15,000/- (एक लाख पन्द्रह हजार) की राशि भुगतान की गयी है। नरेगा के तहत् योजना में अग्रिम भुगतान करना नियम विरूद्ध है। इस प्रकार आपके द्वारा नरेगा के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है ।

(ख) कनीय अभियंता के द्वारा दिनांक 17 मई, 2008 को मापीपुस्त संख्या-55/07-08 के पृष्ठ संख्या-1 से 4 तक में योजना की प्रथम मापीपुस्त किया है। मापीपुस्त में दिनांक 17 मई, 2008 को एक ही दिन में 9,59,271/- (नौ लाख उनसठ हजार दो सौ एकहत्तर) रूपये का कार्य मापीपुस्त में प्रविष्ट की गयी है। मापीपुस्त के पृष्ठ संख्या-2, 3, 4 में यह स्पष्ट होता है कि योजना में मिट्टी की खुदाई 2 फीट से 6 इंच से लेकर 3 फीट से 4 फीट तक की गहराई दिखलायी गयी है ।

दिनांक 19 फरवरी, 2008 से 22 फरवरी, 2008 तक दिनांक 24 फरवरी, 2008 से 29 फरवरी, 2008 तक एवं 03 मार्च, 2008 से 08 मार्च, 2008 तक के मस्टर रोल, अभिलेख में उपलब्ध पाये गये, जिसमें भुगतान की तिथि अंकित नहीं किया गया है तथा मस्टर रोल में नरेगा कर्मियों के द्वारा सत्यापन का कोई जिक्र नहीं है। दिनांक 11 अगस्त, 2009 को योजना की जाँच के क्रम में अभिलेख में उपरोक्त तीन तिथियों के मस्टर रोल उपलब्ध पाये गये, जिनमें 1,14,998/- (एक लाख चैदह हजार नौ सौ अंठानब्बे) रूपये भुगतान का जिक्र पाया गया है। जाँच की तिथि 11 अगस्त, 2009 तक कनीय अभियंता के द्वारा दी गयी मापी 17 मई, 2008 के आधार पर किए गए भुगतान के लिये कोई भी मस्टर रोल अभिलेख में नहीं पाया गया। जबकि, अभिलेख में दिनांक 05 जून, 2008 को एकमुश्त 9,59,271/- (नौ लाख उनसठ हजार दो सौ एकहत्तर) रूपये का भुगतान किया गया है। 05 जून, 2008 के बाद से अभिलेख में कोई मस्टर रोल प्राप्त होने का जिक्र नहीं किया गया है ।

(ग) दिनांक 14 अगस्त, 2009 को आपके द्वारा 5 सेट मस्टर रोल उपलब्ध कराये गये है। इससे स्पष्ट होता है कि ये मस्टर रोल पूर्णतः जाली है एवं आनन-फानन में सृजित किये गये हैं। इन

मस्टर रोलों में जो भुगतान दिखाया गया है, वह प्रमाणतः किसी भी तरह से ग्राह्य नहीं है, क्योंकि मस्टर रोल का सत्यापन न तो आपके द्वारा किया गया है न ही नरेगा कर्मियों के द्वारा, जो मस्टर रोल उपलब्ध कराये गये है ।

उपरोक्त मस्टर रोलों के अवलोकन से यह भी प्रमाणित होता है कि 05 अप्रैल, 2008 से 17 अप्रैल, 2008 तक एवं 19 अप्रैल, 2008 से 03 मई, 2008 तक, जो मस्टर रोल दिये गये है, उसमें 90/- (नब्बे) रूपये प्रति मजदूर के दर से भुगतान दिखाया गया है यह स्थिति प्रमाणित करता है कि मस्टर रोल अनियमित तरीके से एवं जाली तरीके से बनाया गया है। मस्टर रोल में मजदूरवार कार्य की मात्रा अंकित नहीं किया गया है। दिनांक 11 अगस्त, 2009 को कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार के साथ योजना की जाँच की गयी। ग्रामीणों ने बतलाया कि योजना में नाममात्र के लिए मजदूरों से काम कराया गया है। पूरा काम JCB मशीन से कराकर योजना में एकमुश्त 9,59,271/- (नौ लाख उनसठ हजार दो सौ एकहत्तर) रूपये का विपत्र दिया है। इससे ग्रामीणों का अभिकथन से प्रमाणित होता है कि योजना में JCB मशीन से काम कराया गया है। नरेगा प्रावधान के अनुसार मशीनों से योजनाओं में कार्य नहीं करना है, क्योंकि नरेगा द्वारा अकुशल मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना है। इस प्रकार आपके द्वारा स्थानीय मजदूरों को मजदूरी से वंचित रखकर, मशीन से मिट्टी कटवाकर नरेगा के नियमों का उल्लंघन किया गया है। साथ ही, 10,74,271 (दस लाख चौहत्तर हजार दो सौ एकहत्तर) रूपये सरकारी राशि का दुर्विनियोग किया गया है ।

2.(क) वर्ष 2007-08 में योजना सं0-92/07-08 में आपके द्वारा 30 नवम्बर, 2008 को 15,000/- एवं दिनांक 18 फरवरी, 2008 को 1,00,000/- रूपये लाभुक समिति के अध्यक्ष श्रीमती बंधई देवी, पति-गुड़ुन मुण्डा एवं सचिव श्रीमती मंजू देवी, पति-पारसनाथ मुण्डा को अग्रिम किया गया है। प्रथम अग्रिम के पश्चात् इस योजना में भुगतान से संबंधित न तो कोई मस्टर रोल पाया गया, न ही मापी पाया गया। योजना के प्राक्कलन से यह स्पष्ट होता है कि तालाब के निर्माण में मात्र मिट्टी कटायी का प्राक्कलन बनाया गया है, जबकि तालाब के लिए सीढ़ीनुमा प्राक्कलन होना चाहिए। आपके द्वारा इस योजना में नरेगा नियमों का उल्लंघन करते हुए 1,15,000/- रूपये का अग्रिम किया गया है, जिसके लिए सिर्फ आप दोषी पाये जाते हैं।

2.(ख) दिनांक 11 अगस्त, 20019 को कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार एवं उप विकास आयुक्त, लातेहार द्वारा योजना का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि यह तालाब पूर्व से निर्मित था, जिसे काटकर बनाया जा रहा था। प्राक्कलन तैयार करते समय आपके द्वारा इस योजना का स्थल निरीक्षण नहीं किया गया और आपके द्वारा खुदायी की गयी तालाब पर ही योजना के प्राक्कलन

के प्रशासनिक स्वीकृति मो0 7,15,400/- रूपये की प्राप्त कर ली गयी तथा 1,15,000/-रूपये का अग्रिम भुगतान भी कर दिया गया। योजना स्थल पर ग्रामीणों द्वारा बतलाया गया कि यह योजना श्री संजय दूबे, चंदवा द्वारा कराया जा रहा है। इसमें लाभुक समिति की दोनों महिलाएँ नाममात्र की अभिकर्ता हैं। योजना में वस्तुतः कोई कार्य नहीं हुआ है। इस प्रकार, योजना में 1,15,000/- के दुर्विनियोग के लिए आप दोषी हैं। चूँकि इस योजना की राशि को बिचैलियों द्वारा हड़प लिया गया है तथा लाभुक समिति के रूप में दो आदिवासी महिलाओं का शोषण किया गया है, अतः आप "अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम" के तहत् भी दोषी पाये जाते हैं ।

3. बरवाटोली पंचायत के ग्राम-टाटा में तालाब निर्माण की योजना सं0- 93/07-08 में 30 जनवरी, 2008 को लाभुक समिति के अध्यक्ष फुलमनि देवी, पति-श्री शंकर मुण्डा एवं मुनिया देवी, पति-श्री रंगीया मुण्डा 15,000/- रूपये तथा 18 फरवरी, 2008 को 1,00,000/- रूपये का अग्रिम किया गया है, जो नरेगा के प्रावधान के विरूद्ध है ।

योजना की जाँच कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार एवं उप विकास आयुक्त, लातेहार द्वारा संयुक्त रूप से की गयी है। कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना स्थल पर काटी गयी मिट्टी की नापी ली गयी, जिसके आधार पर 1,03,868.10 सी0एफ0टी0 मिट्टी पायी गयी। मापी पुस्त में बीच एरिया की मात्रा 9,625 सी0एफ0टी0 घटायी गयी है, जो प्राक्कलन प्रावधानित है। इस प्रकार, काटी गयी कुल मात्रा 94,243 सी0एफ0टी0 ही अनुमान्य है। स्थल पर मापी पुस्त के साथ मिलान करने पर पाया गया कि मापी पुस्त सं0-147/07-08 के पृष्ठ सं0-2 से लेकर 4 तक में प्रथम मापी विपत्र कनीय अभियंता द्वारा उपस्थापित किया गया है। मापी पुस्त में काटी गयी मिट्टी की मात्रा 4,97,893.00 सी0एफ0टी0 दिखलाया गया है, जो क्रॉस सेक्सन से ली गयी मापी के उपरांत 4,03,650.00 सी0एफ0टी0 मिट्टी मापी पुस्त में अधिक दर्ज पाया गया ।

योजना के प्राक्कलन में सीढ़ीनुमा मिट्टी कटायी का कोई उल्लेख नहीं है तथा योजना स्थल पर जे0सी0बी0 मशीन उतारने हेतु रास्ता बनाया हुआ पाया गया। तालाब-निर्माण में दीवाल के कोरों पर की गयी कटाई से भी प्रमाणित होता है कि योजना में मशीन का उपयोग हुआ है। इस प्रकार, आपके द्वारा योजना में एक ओर मशीन से कार्य कराकर जाली मस्टर रोल उपलब्ध कराया गया है, वहीं दूसरी ओर, योजना में नरेगा प्रावधानों के विरूद्ध अग्रिम का भुगतान किया गया। इन अनियमितताओं के लिए आप दोषी पाये जाते हैं ।

उक्त आरोपों के लिए श्री प्रसाद से विभागीय पत्रांक-3716, दिनांक 06 जुलाई, 2011 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा अनुवर्ती स्मार-पत्रों द्वार स्मारित भी किया गया, परंतु उनका

स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। अतः श्री प्रसाद द्वारा कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के निदेश की अवहेलना करते हुए स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने संबंधी आरोपों हेतु विभाग द्वारा पूरक प्रपत्र- 'क', दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 गठित किया गया। विभागीय संकल्प संख्या-13580, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक- 1827/गो0, दिनांक 30 नवम्बर, 2010 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र- 'क' एवं विभाग द्वारा गठित पूरक प्रपत्र- 'क' में प्रतिवेदित आरोपों हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, सेवानिवृत भा0प्र0से0, तत्कालीन विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद के पत्रांक-55, दिनांक 16 मार्च, 2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री वीर प्रकाश प्रसाद के विरूद्ध सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया, जिसके लिए उनकी तीन वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने एवं प्रोन्नति की देय तिथि से अगले दो साल तक उनकी प्रोन्नति अवरूद्ध करने का दण्ड प्रस्तावित किया गया ।

प्रस्तावित दण्ड के आलोक में विभागीय पत्रांक-4249, दिनांक 17 मई, 2013 एवं अनुवर्ती स्मार-पत्र द्वारा श्री वीर प्रकाश प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी, जिसका उत्तर अप्राप्त रहा। स्पष्ट है कि श्री प्रसाद द्वितीय कारण पृच्छा के प्रति गंभीर नहीं हैं तथा सरकार के निदेश की अवहेलना कर रहे हैं। अतः श्री प्रसाद के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय लेते हुए उनकी तीन वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने एवं प्रोन्नति की देय तिथि से अगले दो साल तक उनकी प्रोन्नति अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 297—50 ।